

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या - 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)-30/2021(खंड-4) 70/पटना, दिनांक-15/09/2023

आदेश

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के स्तर पर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2019 के तहत श्री अमित कुमार, पिता-श्री जगदीश मंडल, ग्राम-वैसा, पोस्ट-वैसा, थाना-परवत्ता, जिला-खगड़िया को डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पद पर नियोजित करते हुए निदेशालय पत्रांक 10642 दिनांक 01.09.2020 के द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, अररिया में पदस्थापित किया गया है। प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियोजन हेतु श्री कुमार द्वारा Karnataka State Open University Mukthagangotri, Mysuru से निर्गत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त किया गया है।

नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु निदेशालय द्वारा उक्त विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया था। इसी क्रम में एक अन्य मामले में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया है कि "The University does not issue verification of marks cards to the student to collaborative institutions. The Distance Education Council (DEC)/AICTE has not given approval to technical programmes like Diploma/B.Tech/M.Tech offered by KSOU"

विश्वविद्यालय से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 5963 दिनांक 25.07.2023 द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के विरुद्ध आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि एवं समय पर समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में यह तथ्य दिया गया है कि ये अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इन्कार करते हैं एवं वर्ष 2013 में उक्त विश्वविद्यालय को Distance Education Council (DEC) से मान्यता प्राप्त थी। साथ ही पुनः सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है।

विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित का कथन है कि विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 तक की मान्यता प्राप्त थी जबकि विश्वविद्यालय द्वारा अपने सत्यापन प्रतिवेदन में कहीं अंकित नहीं किया गया है कि उनके विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 तक तकनीकी पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी दी गयी थी। विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय को DEC/AICTE द्वारा तकनीकी कार्यक्रम चलाने की मंजूरी नहीं दी गयी है। सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित गलत/फर्जी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

उपरोक्त के आलोक में विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका-(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02790) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त संविदा कर्मी को प्रभारित सभी कागजात/दस्तावेज/सामग्री अविलंब प्राप्त कर ली जाय एवं अब तक भुगतान किए गए मानदेय की वसूली करते हुए इनके विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित किया जाय।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)-30/2021(खंड-4) 7025 पटना, दिनांक :- 15/09/2023
प्रतिलिपि :- श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02790) पिता-श्री जगदीश मंडल,
ग्राम-वैसा, पोस्ट-वैसा, थाना-परवत्ता, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण 15/9/23

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)-30/2021(खंड-4) 7025 पटना, दिनांक :- 15/09/2023
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण 15/9/23

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)-30/2021(खंड-4) 7025 पटना, दिनांक :- 15/09/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को विभागीय वेबसाईट एवं
इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R सॉफ्टवेयर में संधारित श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने
हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण 15/9/23